

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
गीता पत्नि सोहनसिंह जाति पुरोहित
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/674
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
04/11/25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सोकडा स्थित भूमि खसरा नंबर 119, 120 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.300 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम एवं गै. मु. तैड कुल लगान 21.46 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, पैरवा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
गीता पत्‍नि सोहनसिंह जाति पुरोहित
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 674
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेशोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सोकडा स्थित भूमि खसरा नंबर 119, 120 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.300 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम एवं गै. मु. तैड कुल लगान 21.46 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हंल्का, पैरवा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04/11/25 को जारी की गई।



3
(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

110

112

120

119
2

122

121

633/117

135

118

632/117

Scale 1:2000

खसरा संख्या : 119 क्षेत्रफल : 2.2300 Hectare खाता संख्या : 127 पुराना खाता संख्या : 119

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : चाही सोयम [0.4500, 9.00], जाव सोयम [1.7800, 12.46]

1.) गीता पत्नि सोहनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार

2.) नारायणसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार हिस्सा-1/2 (पूर्ण खाता) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा BALI

3.) मनोहरसिंह पुत्र सोहनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार

4.) हणवन्तसिंह पुत्र सोहनसिंह हिस्सा- 1/6 जाति- पुरोहित सा. देह खातेदार

नारायणसिंह पुत्र

मनोहरसिंह

पुरोहित

सहायक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील
पटवारी (भू.अ.)

पटवार मण्डला...

तह बाली जिला-पाली (रा)

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

तहसीलदार (भू.अ.) बाली